न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 109/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. श्यामलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नानी बाई पत्नी स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
01.10.2015 प्रकरण संख्या 284/2012

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 27–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बलीचा में बिलानाम साबिक आराजी नंबर 241/1 मी. में से 10 बीघा भूमि मिसल नंबर 273 सन् 57 से वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी, जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 से आराजी नंबर 241/1 घ रकबा 10 बीघा वादीगण के पिता के नाम दर्ज हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 328 से वादीगण के पिता को खातेदारी हक प्रदान किये गये। किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वादीगण के पिता का नाम हटाकर हाल आराजी नंबर 1793 रकबा 3.4050 एवं 1794 रकबा 0.01550 हैक्टर भूमि बिलानाम में दर्ज कर दी, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का उन्हें कोई [illegible] कर्मचारियों/अधिकारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

को राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन सिर्फ सक्षम न्यायालय के आदेश, विरासत एवं बिकाव से ही किया जा सकता है। विवादित आराजियात पर कब्जा आज भी वादीगण का अपने पिता के समय से चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी नंबर 1793 रकबा 3.4050 एवं 1794 रकबा 0.01550 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय नेएक अन्य वाद संख्या 199/2010 चमनलाल बनाम सरकार इन्हीं आराजियात से संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को कन्सोलेटेड कर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 01—10—2015 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिसके रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03—12—2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट ने अपना वाद पूर्ण रूप से सिद्ध करवा दिया था कि कथित जमीन अपीलान्ट के पिता को आवंटित होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जो एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 3 का फैसला संयुक्त करने में भूल की है। सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है, जैसाकि आर.एल.डब्ल्यू. 2001 पेज 600 पर प्रतिपादित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 1793

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 3.4050 एवं 1794 रकबा 0.01550 हैक्टर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर उसकी किस्म पहाड़ दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 1224 दिनांक 28–08–2012 से चारागाह घोषित करने हेतु आरक्षित दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। अपीलान्ट/वादीगण ने अपने पिता को साबिक आराजी नंबर 241/1 मी. में से 10 बीघा भूमि मिसल नंबर 273 सन् 57 से आवंटित होने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत् कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही आराजी नंबर 241/1 मी. अथवा आराजी नंबर 241/1 घ का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण वाद खारिज किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्यामलाल पिता स्व. तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा व अन्य   बनाम   राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......109/2015........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.........01............माह...............10...............2015.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........27..........माह.............09.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री संजय बोहरा............मिनजानिब अपीलान्ट व................श्री कमलेश चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........**X**.........)..........रूपये .... **X**......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............27.............माह............09..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested